

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 18(5)त0शिक्षा/2004-पार्ट

जयपुर, दिनांक: 25.10.2010

::विज्ञप्ति::

इस विभाग के पत्र संख्या पी.18 (5) टी ई/2004/ दिनांक 20.06.2010 के द्वारा सभी निजी तकनीकी संस्थानों को पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया था कि वर्ष 2009-10 के शुल्क निर्धारण करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में सूचना न्यायाधिपति तिवारी राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति के कार्यालय को दिनांक 30.09.2010 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 12.10.2010 में हुये निर्णय कि अनुपालना में समिति को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने की दिनांक 30.09.2010 से बढ़ा कर दिनांक 15.11.2010 की जाती है।

